इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जुलाई 2014—आषाढ़ 18, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2014

क्र. 3990-166-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 जून, 2014 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक 29 जून 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 9 जुलाई 2014 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (दो) में, शब्द "द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग एक में विनिर्दिष्ट" स्थापित किए जाएं.

द्वितीय अनुसूची का स्थापन. ३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"द्वितीय अनुसूची

भाग एक

[धारा २ (दो) तथा ४ (सत्रह) (एक) देखिए]

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर एवं देवास.
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा.
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, झाबुआ, धार, खरगौन (पश्चिमी निमाड़), खण्डवा (पूर्वी निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर एवं बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर एवं अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, डिण्डोरी, अनूपपुर, उमरिया एवं सिंगरौली.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा एवं बैतूल.

भाग दो

[धारा ४ (सत्रह) (दो) देखिए]

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना एवं दमोह.".

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2014

क्र. 3991-166-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2014

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the President on the 29th June 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th July, 2014]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature In the sixtysecond year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of section 2. 2. In section 2 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter . referred to as the principal Act), in clause (ii), for the words "specified in the Second Schedule", the words " specified in Part I of the Second Schedule" shall be substituted.

Substitution of Second Schedule. 3. For the Second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SECOND SCHEDULE

PART I

[See section 2 (ii) and 4 (xvii) (i)]

S. No.	Name of the University	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain	Ujjain	Ujjain, Ratlam Mandsaur, Shajapur and Dewas.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Mandla, Seoni, Balaghat, Katni, Narsinghpur and Chhindwara.
3	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore.	Indore	Indore, Jhabua, Dhar, Khargone (West Nimar), Khandwa (East Nimar), Alijapur, Burhanpur and Badwani.
4	Jiwaji Vishwavidyalaya, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Guna, Datia, Sheopur and Ashoknagar.
5	Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa.	Rewa	Rewa, Satna, Sidhi, Shahdol, Dindori Anuppur, Umaria and Singroli.
6	Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, Rajgarh, Harda and Betul.

PART II

[See section 4 (xvii) (ii)]

S. No. (1)	Name of the University (2)	Headquarters (3)	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
1.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur, Sagar, Tikamgarh, Panna and Damoh".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.